राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–नर्सिंग / नर्स प्रथम / R-313 / 2020 / दिनांकः

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
डूंगरपुर।

विषयः– श्री राजेश हंगात, नर्स प्रथम के बकाया वेतन के संबंध मे।
संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 1138 दिनांक 21.11.2020 के क्रम मे।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा अवगत करवाया गया है कि श्री राजेश हंगात, नर्स प्रथम जो वर्तमान में प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, डूंगरपुर में कार्यरत है का माह अक्टूबर 2019 से वेतन आहरण नहीं हो पा रहा है।

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक का वेतन भुगतान उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर आपके अधीन नर्स प्रथम / समकक्ष / उच्च पद के रिक्त पद से नियमानुसार वेतन भुगतान कर निदेशालय को अवगत करावें।

Sd/-
(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–नर्सिंग / नर्स प्रथम / R-313 / 2020 / 712 दिनांकः 07-12-2020

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ~~महोदय~~ को उनके कार्यालय पत्रांक 14138–39 दिनांक 06.10.2020 के क्रम में।
2. निजी सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उनकी अनौपचारिक टिप्पणी क्रमांक 578 दिनांक 30.09.2020 के क्रम मे।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, डूंगरपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्मिक का वेतन भुगतान किस कारण से नहीं किया गया मय अपनी टिप्पणी सहित निदेशालय को अवगत करावें।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. गार्ड पत्रावली / रक्षित पत्रावली ।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर